

पत्रांक :-1/यो.1-25/2016(उ0शि0) (अंश).....128/998

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

रामनिवास यादव (भा0प्र0से0),
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 29/04/2024

विषय:-

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अवयव-5 अंतर्गत गिरिडीह जिला में मॉडल डिग्री कॉलेज, डुमरी, गिरिडीह की स्थापना हेतु रु0 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु0 5,80,60,141/- (पाँच करोड़ अस्सी लाख साठ हजार एक सौ एकतालीस रुपये) मात्र के निकासी हेतु स्वीकृत राशि में से अतिरिक्त राज्यांश की राशि रु0 2,20,60,141/- (दो करोड़ बीस लाख साठ हजार एक सौ एकतालीस रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :- झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 1351/नि0 दिनांक 20.06.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 125/बजट दिनांक 24.07.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अवयव-5 अंतर्गत गिरिडीह जिला में मॉडल डिग्री कॉलेज, डुमरी, गिरिडीह की स्थापना हेतु रु0 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु0 5,80,60,141/- (पाँच करोड़ अस्सी लाख साठ हजार एक सौ एकतालीस रुपये) मात्र के निकासी हेतु स्वीकृत राशि में से अतिरिक्त राज्यांश की राशि रु0 2,20,60,141/- (दो करोड़ बीस लाख साठ हजार एक सौ एकतालीस रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन निम्नवत् प्रदान की जाती है-

क्र0	DDO एवं कोड	अतिरिक्त राज्यांश मद में सवीकृत राशि	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DRNSCT001)	2,20,60,141=00	21X22020310279010678	1,70,96,609=00
			21X22020378979010678	33,09,021=00
			21X22020379679010678	16,54,511=00
	कुल योग -	2,20,60,141=00		2,20,60,141=00

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2024-25 की केन्द्र प्रायोजित स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष -

(क) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21X220203102790678)

(ख) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21X220203789790678) एवं

(ग) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21X220203796790678) मद में किये गये बजट उपबंध से की जायेगी।

3. स्वीकृत राशि की निकासी SNA SPARSH प्रणाली के अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (DRNSCT001) होंगे, जो संबंधित State Link Scheme के Drawing account से राशि की निकासी करेंगे।

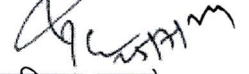
4. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

5. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 125/बजट दिनांक 24.07.2024 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

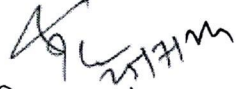


(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-1/यो.1-25/2016(उ0शि0) (अंश) ^{128/945} /रॉची, दिनांक- ^{29/07} 2024

प्रतिलिपि -महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

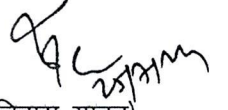


(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-1/यो.1-25/2016(उ0शि0) (अंश) ^{128/945} /रॉची, दिनांक- ^{29/07} 2024

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय, रुसा/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।





आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 1/YO1-25/2016P/128/BUDGET

दिनांक - 29-Jul-2024

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	X 21 22020310279010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान	46338	DRNSCT001 MANAUWAR ALAM U/S HIGHER & TECHNICAL EDU DEP	17,096,609.00 रुपये एक करोड़ सत्तर लाख छयानवे हजार ४८: सी नौ
State Scheme : RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935) Central Scheme : RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)				78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान
2	X 21 22020378979010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 789 - अनुमोचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान	46340	DRNSCT001 MANAUWAR ALAM U/S HIGHER & TECHNICAL EDU DEP	3,309,021.00 रुपये तैतीस लाख नौ हजार दुक्कीस
State Scheme : RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935) Central Scheme : RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)				78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान
3	X 21 22020379679010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान	46337	DRNSCT001 MANAUWAR ALAM U/S HIGHER & TECHNICAL EDU DEP	1,654,511.00 रुपये सोलह लाख चौपन हजार पाँच सौ ग्यारह
State Scheme : RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935) Central Scheme : RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)				78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान

योग: 22,060,141.00
रुपये दो करोड़ बीस लाख साठ हजार एक सौ इय्यालीस

क्रमिक योग:

(RAMNIWAS YADAV)
DIRECTOR